

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
38 / 2022

दायर दिनांक
31.03.2022

निर्णय दिनांक
19.04.2022

अनवान

1. चम्पालाल पुत्र देवीलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. दला पुत्र जीतिया जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नाथु पिता परथु जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. बद्रीलाल पिता दल्ला जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मांगीलाल पिता देवीलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. रतनलाल पिता चुना जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र परतु जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. डालचन्द पुत्र उदा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नन्दराम पुत्र खेमा जाति डांगी निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. चुन्नीलाल पुत्र नारायण जाति डांगी निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. लालाराम पुत्र हेमा जाति डांगी निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. छितर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. गणपत सिंह पुत्र चतर सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. रतनलाल पुत्र रामा जाति तेली आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. किशनलाल पुत्र नानुराम जाति तेली आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. गिरधारी पुत्र हजारी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

—:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 137 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1507, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521, 1522, 1523 कुल कित्ता 13 कुल रकबा 1.82 है0 व खाता संख्या 138 की आराजी संख्या 1508 रकबा 0.03 है0 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 19.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 137 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1507, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521, 1522, 1523 कुल कित्ता 13 कुल रकबा 1.82 है0 व खाता संख्या 138 की आराजी संख्या 1508 रकबा 0.03 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय

का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन